

डिग्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-294/2019

1. सुरेन्द्र कुमार } पि० अमीलाल जाति सुनार निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी
 2. सन्दीप कुमार } जिला हनुमानगढ़।
 3. कुलदीपकुमार } वादीगण

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति सुनार निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 2. उर्मिला पुत्री अमीलाल पत्नी उमाशंकर जाति सुनार निवासी रावला तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनगर। प्रतिवादीगण

यह राजस्व नुकदना आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिस्ताल कतई रोडरु हमारे बहाजरी श्री वकील वादीगण सन्दीप कस्वां निन जानिन नुदई श्री रामस्वरूप भाद् प्रतिवादीगण निन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सं० 1 सुरेन्द्र कुमार को चकनं० 644 आरडी के प०न० 229/303 नु० 56 किलानं० 23,24/.253 है० प्रत्येक, 17/.127 है०, 18/.126 है०, कुल 0.759 है०, ख.वादीसं० 2 सन्दीप कुमार को चकनं० 644 आरडी के प०न० 229/303 नु० 56 किलानं० 13,14/.253 है० प्रत्येक, 17/.126, 18/.127 है० कुल 0.759 है० ग.वादीसं० 3 कुलदीप को चकनं० 644 आरडी के प०न० 229/303 नु० 56 किलानं० 6,7/.253 है० प्रत्येक, 8/.145 है०, प०न० 530/303 नु० 57 किलानं० 10/1/.108 है० कुल 0.759 है० आराजी के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते हैं व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 644 आरडी के जनाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 9/8 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कन कर शेष अंकन प्रतिवादी अमीलाल का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अनल दरामद किया जावे।

निल _____ निल _____ मुक्ति _____ निल _____ बाबत् _____ निल _____ खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक _____
 अदा करें।

बसबत नैरे दस्तख्त एवं नुहर अदालत से आज दिनांक 11.9.19 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी